सरकार/ किशनदान धारा 131,132,136 2025/894 शा. प्रा. प. सं. 01/2025

84

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

क्रमांक/कोर्ट/रास्ता/2026/1051 दिनांक 3/4/2026

202604/0A12560024

2026041256000222

आदेश

तहसीलदार पीपाड़ शहर के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132, 136 के अधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम बोरून्दा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर के खसरा संख्या 2991, 2992, 5162/2993, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3024 राजकीय/निजि भूमि मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग आ रही भूमि की किस्म गे मु रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि एवं राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण संबंधित खातेदारो को समन जारी किये गये, अप्रार्थीगण को अवसर दिये जाने के बावजूद स्वयं/प्रतिनिधि अनुपस्थित, जिस पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थना पत्र के सम्बंध में हल्का पटवारी बोरून्दा व भू अ निरीक्षक बोरून्दा की रिपोर्ट एवं सलग्न रेकर्ड की प्रमाणित प्रति के आधार पर राजस्व ग्राम बोरून्दा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर के खसरा संख्या 2991, 2992, 5162/2993, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3024 राजकीय/निजि भूमि में विद्यमान कदीमी रास्ते के सम्बंध में से परिशिष्ट क के अनुरूप किस्म गै. मु. रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः रा.भू.रा. अधिनियम 1956 धारा 131,132,136 व रा.भू.रा. अधि. 1957 के नियम 60 (एच) एवं श्रीमान् शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप 6) विभाग के परिपत्र दिनांक 04/04/2025 के तहत तहसीलदार पीपाड शहर का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम बोरून्दा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर के खसरा संख्या 2991 में से 0.0728 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2992 में से 0.0550 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5162/2993 में से 0.0731 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2996 में से 0.0152 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2997 में से 0.0207 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2998 में से 0.0238 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2999 में से 0.0116 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3000 में से 0.0536 हैक्टेयर, खसरा संख्या 3024 में से 0.0323 हैक्टेयर, किस्म गै. मु. रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लट्ठा) ट्रेस में दुरूस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में अमल करने के आदेश तहसीलदार पीपाड शहर को दिये जाते है। माफिक परिशिष्ट क के रा. रेकर्ड में उक्त खसरा की किस्म में मु रास्ता दर्ज कर नक्शे में तरमीम की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त रिपोर्ट को उक्त निर्णय का भाग समझा जावेगा।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

क्रमांक/कोर्ट/रास्ता/2026/ 1052 to 1056 दिनांक 3/4/2026

प्रतिलिपिः—1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय(भू.अ.) जोधपुर की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2. तहसीलदार पीपाड़ शहर को पालनार्थ।
3. उप तहसीलदार बोरून्दा को पालनार्थ।
4. भू.अ.निरीक्षक बोरून्दा को पालनार्थ।
5. हल्का पटवारी बोरून्दा को राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद व नक्शे में तरमीम की कार्यवाही हेतु।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर